

फायर टैक्स ले सकती है मप्र सरकार

► अग्रिशमन सेवाओं को बेहतर करने का प्रयास

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 4 जून. दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड ने देश के साथ ही प्रदेश सरकार को भी हिलाकर रख दिया है. लिहाजा अब प्रदेश के लिए प्रस्तावित मप्र अग्रिशमन एवं आपातकाली सेवाएं विधेयक-2026 को लेकर एक बार फिर गुरुवार को मंथन किया गया. इस दौरान गंभीरता से विचार किया गया कि यदि प्रदेश में अग्रिशमन सेवाओं को बेहतर करना है तो उसके लिए फॉयर टैक्स लेना होगा, यानी नए विधेयक में इस मसौदे को भी शामिल किया जा सकता है.

वहीं नए एक्ट में फायर सेफ्टी ऑफिसर और अन्य तकनीकी

दिल्ली अग्निकांड के बाद प्रदेश में नए फॉयर एक्ट पर फिर मंथन



व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यता व अनुभव का स्पष्ट निर्धारण किया जाएगा, जिससे कि तकनीकी रूप से दक्ष व्यक्ति ही सेवारत हों. इसी क्रम में अब दूसरे राज्यों के नियमों का भी अध्ययन करने की तैयारी कर ली गई है. यहां बता दें कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश के नए फॉयर एक्ट का मसौदा लगभग तैयार कर लिया था और उसे अंतिम रूप भी दे दिया था,

भारत सरकार के मॉडल एक्ट के अनुरूप हों नियम

मंत्री विजयवर्गीय ने निर्देश दिए कि मप्र अभिनशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 में भारत सरकार के मॉडल एक्ट के नियमों के अनुसार परिवर्तन किए जाएं. उन्होंने कहा कि भविष्य में मध्यप्रदेश में बड़ी इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज आएंगी, जिसके अनुरूप हमारे पास अत्याधुनिक उपकरण, बेहतर तकनीक और प्रशिक्षित मानव संसाधन होना चाहिए, जिससे किसी भी अग्रिय स्थिति में विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सके.

लेकिन दिल्ली की घटना के बाद नए सिरे से इसमें और नए संशोधनों को शामिल किया जाएगा. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को मंत्रालय में इस संबंध में आला अफसरों को तलब किया और नए प्रस्तावित एक्ट की समीक्षा की. बैठक में मप्र कॉलोनी अधिनियम 2026 के प्राधान्यों को लेकर भी समीक्षा की गई. बैठक में मंत्री विजयवर्गीय ने निर्देश दिए कि सभी बिल्डिंगों में

एग्जिट प्लान और पाइपलाइन का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए. बैठक में अभिनशमन सेवाओं को बेहतर करने के लिए फायर टेक्स लेने के सुझाव पर भी गंभीरता से चर्चा की गई. दोनों ही एक्ट को लेकर दिए गए सुझावों के आधार पर जरूरी संशोधन किए जाएंगे और फिर अगले सप्ताह इन दोनों ही एक्ट को मंत्री के सामने पेश किया जाएगा.

विजयवर्गीय ने वर्तमान में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में उपलब्ध फायर स्टेशन, फायर ब्रिगेड और कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संसाधन के लिए विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाई जाए, जिससे अमला किसी भी आपात स्थिति में कार्य करने में पूरी तरह सक्षम हो. बैठक में मप्र कॉलोनी अधिनियम 2026 के प्रस्तावित प्रारूप का प्रजेंटेशन भी किया गया. इसमें कॉलोनी रजिस्ट्रीकरण, विकास अनुज्ञा, नियमों के उल्लंघन और अनधिकृत, अविकसित व अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई से जुड़े नियमों पर चर्चा की गई.

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का नाम यथावत रखने की मांग

भोपाल, 4 जून . बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलने के प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक विरोध तेज हो गया है. भाकपा ने इस प्रस्ताव को अनुचित बताते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है.

भाकपा मध्य प्रदेश के राज्य सचिव कॉमरेड शैलेन्द्र शैली ने कहा कि महान स्वाधीनता सेनानी एवं शिक्षाविद् बरकत उल्ला/बरकत उल्ला भोपाली का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है. उन्होंने कहा कि बरकतउल्ला भोपाली ने भारत की आजादी के लिए देश-विदेश में संघर्ष किया और वे निर्वाचित सरकार में प्रमुख भूमिका से भी



जुड़े रहे. पार्टी ने कहा कि भोपाल की ऐतिहासिक पहचान और गौरव से जुड़े इस नाम को बदलने का प्रयास अस्वीकार्य है. इसे स्वतंत्रता सेनानी का अपमान बताया गया है. भाकपा ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि कार्यपरिषद के इस प्रस्ताव को तत्काल अस्वीकार किया जाए और विश्वविद्यालय का नाम यथावत रखा जाए. साथ ही पार्टी ने अन्य राजनीतिक दलों से भी इस मुद्दे पर एकजुट होकर विरोध दर्ज कराने की अपील की है.

आम जनता तक नहीं पहुंच रहा विकास का लाभ

विशेष संवाददाता
भोपाल, 4 जून. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रतलाम में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए देश में बढ़ती आर्थिक असमानता और सामाजिक विषमता को लेकर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि देश की बड़ी संपत्ति सीमित लोगों के हाथों में सिमटती जा रही है, जिससे आर्थिक संतुलन बिगड़ रहा है.

जीतू पटवारी ने कहा कि देश की संपदा का बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा लोगों के नियंत्रण में पहुंच गया है, जबकि किसान, मजदूर



और मध्यम वर्ग आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. उन्होंने सवाल किया कि विकास और आर्थिक प्रगति का लाभ आम नागरिकों तक आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है.

उन्होंने पूर्व के आर्थिक संकटों का उल्लेख करते हुए कहा कि समृद्धि, रोजगार सृजन और

मुख्यमंत्री द्वारा हाल में उनके खिलाफ की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए पटवारी ने इसे लोकतांत्रिक राजनीतिक संवाद की गरिमा के अनुरूप नहीं बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की भाषा से सोशल मीडिया पर वैमनस्य को बढ़ावा मिला है और राजनीतिक विरोधी विभाजनकारी राजनीति को प्रोत्साहित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक सद्भाव और समावेशी राजनीति के प्रति प्रतिबद्ध है. जनता वास्तविक मुद्दों पर जवाब चाहती है और लोकतांत्रिक माध्यमों से अपना फैसला सुनाएगी.

महंगाई से राहत के दावों के बावजूद देश के अनेक वर्ग आज भी कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं. उनके अनुसार संपत्ति का लगातार सीमित हाथों में केंद्रित होना चिंता का विषय है.

कांग्रेस नेता ने वर्षों से बार-बार दिए गए देश की 'बचाने' जैसे नारों पर भी सवाल उठाते हुए

कार दुर्घटनाग्रस्त, विधायक

योगेंद्र सिंह को पहुंची चोट

सिवनी. जिले में लखनादौन से कांग्रेस विधायक योगेंद्र सिंह बाबा गुरुवार को एक सड़क दुर्घटना में मामूली रूप से घायल हो गए. धूमा थाना क्षेत्र में उनकी स्कॉर्पियो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई. प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक अपने वाहन से यात्रा कर रहे थे. इसी दौरान धूमा क्षेत्र में बंजारी हाई स्कूल के सामने अचानक सड़क पर एक गाय आ गई. गाय को बचाने के प्रयास में चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और स्कॉर्पियो हाई स्कूल की बाउंड्री वॉल से टकरा गई. दुर्घटना के बाद वाहन में आग लग गई. हालांकि आग फैलने से पहले विधायक, उनका गनमैन, निजी सहायक और चालक वाहन से बाहर निकल आए, जिससे बड़ा अनिष्ट टल गया. दुर्घटना में विधायक को मामूली चोट आई हैं, जबकि वाहन में सवार अन्य सभी लोग सुरक्षित बताए गए हैं.

चुनाव में वोटरों के नाम जोड़ने ऑनलाइन सुविधा

► स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां प्रारंभ

► 8317 आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन किया



प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 4 जून. प्रदेश में पहली बार नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को नाम जोड़ने, कटवाने और नाम संशोधन के लिये ऑनलाइन सुविधा दी गयी है. इस सुविधा का लाभ लेते हुए कुल 8317 आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन किया. इनमें से नगरीय निकायों में 1496 और पंचायतों में 6848 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए.

राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव के मुताबिक नगरीय निकायों में 675 ऑनलाइन आवेदन नाम जोड़ने, 770 नाम कटवाने और 24 आवेदन नाम में संशोधन के लिये प्राप्त हुए हैं. वहीं त्रि-स्तरीय पंचायतों में 1701 आवेदन नाम जुड़वाने, 4960 नाम कटवाने और 187 आवेदन नाम में संशोधन के लिये प्राप्त हुए हैं. इन सभी आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है.

रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार

आगर-मालवा, 04 जून. जिले की बड़ौद तहसील में पदस्थ एक पटवारी को लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. लोकायुक्त सूत्रों के अनुसार हल्का नंबर आठ के पटवारी राजेश चौहान के खिलाफ ग्राम झलारा निवासी श्रीपालसिंह पहिरार ने लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कृषि भूमि के सीमांकन के एवज में पटवारी ने 25 हजार रुपये की रिश्वत मांगी

थी. शिकायतकर्ता के अनुसार पटवारी 15 हजार रुपये लेने के बाद सीमांकन कर चुका था, लेकिन सीमांकन रिपोर्ट देने के लिए अतिरिक्त पांच हजार रुपये की मांग कर रहा था. लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार यादव के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोप सही पाए गए. इसके बाद गुरुवार को लोकायुक्त टीम ने बड़ौद तहसील कार्यालय स्थित पटवारी कार्यालय में कार्रवाई करते हुए आरोपी पटवारी को शिकायतकर्ता से पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया.

देश में वन क्षेत्र में बढ़ोत्तरी, लेकिन मध्यप्रदेश को भारी नुकसान

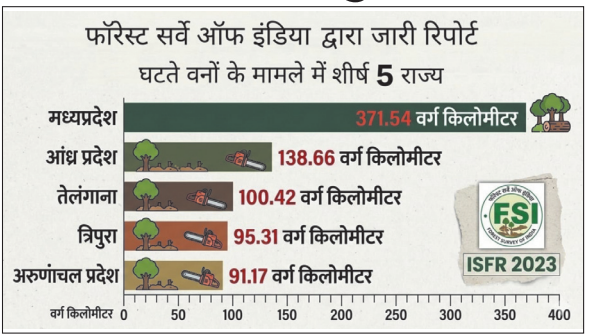
► मप्र में 346 वर्ग किलोमीटर का वन झाड़ियों में तब्दील

► महाराष्ट्र में सबसे अधिक हरियाली, मप्र चौथे स्थान पर

साक्षी केसरवानी
भोपाल, 04 जून. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देशभर में वृक्षों की हरियाली (ट्री कवर) के मामले में वृद्धि हुई है. नवीतम रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 और 2023 के आंकलन के बीच देश के कुल 1 लाख 289.40 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी के साथ अब कुल ट्री कवर 1 लाख 12 हजार 14.34 वर्ग किलोमीटर हो गया है।

वहीं देश में वृक्षों की हरियाली के मामले में महाराष्ट्र कुल 1 हजार 524.88 वर्ग किलोमीटर के साथ देश में पहले पायदान पर है। तो राजस्थान 10 हजार 841.12 वर्ग किलोमीटर के साथ दूसरे और उत्तर प्रदेश 8 हजार 950.92 वर्ग किलोमीटर के साथ तीसरे स्थान पर है। जबकि मध्य प्रदेश इस मामले में 8 हजार 650.15 वर्ग किलोमीटर के साथ चौथे स्थान पर है। हालांकि 2021 के मुताबिक साल 2023 में सबसे अधिक सुधार वाले राज्यों में 702.75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ छत्तीसगढ़ शामिल है.

वनों के घनत्व के मामले में अरुणाचल प्रदेश में 4 हजार



वन क्षेत्र में मप्र में कम हुई हरियाली

राष्ट्रीय स्तर पर देश में कुल वन क्षेत्र में 156.41 वर्ग किलोमीटर की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं मिजोरम, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक और केरल ऐसे प्रमुख राज्य हैं, जिनोंने अपने वन क्षेत्र को वृद्धि की है. इसके ठीक उलट मप्र में सबसे अधिक 371.54 वर्ग किलोमीटर की कमी वन क्षेत्र में आई है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के भीतर सबसे घने वनों के क्षरण में मप्र पूरे देश में शीर्ष पर पहुंच गया है। जहां कुल 4 हजार 855.48 वर्ग किलोमीटर का घना वन क्षेत्र अब पतले या खुले वनों में बदल चुका है। तो वहीं मप्र का करीब 346.44 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र अब केवल झाड़ियां बनकर रह गया है।

271.50 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में 3 हजार 4.04 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बड़ी गिरावट आई है। वहीं झाड़ियों में तब्दील होने के मामले में आंध्र प्रदेश का 992.26 वर्ग किलोमीटर और ओडिशा का 651.77 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। पूरे देश की संयुक्त तस्वीर देखें तो कुल प्लालकर 40 हजार 709.28 वर्ग किलोमीटर का हरा-भरा घना क्षेत्र अब खुले वनों में बदल गया है जबकि 5 हजार 573.02 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र महज झाड़ियों में सिमट गया है।

बदलाव के कारण... रिपोर्ट में वन क्षेत्र में हुई वृद्धि के लिए वनस्पतियों का प्राकृतिक विकास, विभिन्न वृक्षारोपण अभियानों, पारंपरिक वन क्षेत्रों में सुरक्षा के इंतजाम और जंगलों के बाहर वृक्षों के दायरे में हुई प्रगति को जिम्मेदार माना गया है। तो वनों के विनाश के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, झुम खेती का पुराना चलन, इसानी दखल व अतिक्रमण, तृणान, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी कारण है।

आयोजन

पुलिस प्रशिक्षण शाला (पीटीएस) उज्जैन में नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण के पांचवें सत्र का दीक्षांत समारोह संपन्न

प्रशिक्षण पूर्ण कर 206 नव आरक्षक पुलिस में हुए शामिल

विशेष संवाददाता
भोपाल, 4 जून. मध्य प्रदेश पुलिस के प्रशिक्षण तंत्र की उत्कृष्ट परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पुलिस प्रशिक्षण शाला (पीटीएस) उज्जैन में नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण के पांचवें सत्र का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया. प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद 206 नव आरक्षक औपचारिक रूप से मध्य प्रदेश पुलिस बल में शामिल हो गए. समारोह में आयोजित पारसिंग आउट पेरेंड उस्साह और गरिमायय वातावरण के बीच संपन्न हुई. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम



विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) रवि कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में संचालित किया गया, जिसमें आधुनिक, व्यावहारिक और उच्च गुणवत्ता वाली पुलिसिंग दक्षताओं पर

विशेष ध्यान दिया गया. पेरेंड की सलामी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, उज्जैन जोन राकेश गुप्ता ने ली तथा नव आरक्षकों का निरीक्षण किया. समारोह को संबोधित करते

हुए राकेश गुप्ता ने कहा कि नव आरक्षक मध्य प्रदेश पुलिस की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. उन्होंने कहा कि वर्दी का वास्तविक सम्मान जनता के

विश्वास से प्राप्त होता है और पुलिस कर्मियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान नागरिकों के प्रति संवेदनशील एवं सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखना चाहिए.

कार्यालय नगर परिषद चित्रकूट जिला सतना (म. प्र.)
ईमेल - cmchitrakoot@mpurban.gov.in
क्र/E-Tender/तक./1804/2026

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

नगर परिषद चित्रकूट द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट <http://mptenders.gov.in> पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर नं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य की अवधि
1	2026_UAD 512571_1	वार्ड क्र. 12 रच्छू पटेल के घर से बाबू आरख के घर तक आरसीसी नाली निर्माण कार्य ।	5648717.00/-	5650.00/-	2000.00/-	3 माह
2	2026_UAD 512571_2	वार्ड क्र. 11 आरोग्यधाम गेट के बगल से नाला आरसीसी नाला निर्माण कार्य.	1293273.00/-	9700.00/-	2000.00/-	4 माह
3	2026_UAD 512571_3	वार्ड क्र. 08 कामदगिरी सोसायटी में गेट से कछु एवं रामस्वंबर के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य ।	4827100.00/-	36205.00/-	5000.00/-	6 माह
4	2026_UAD 512571_4	वार्ड क्र. 10 में पुष्पा रामायणी के घर से तुलसी मार्ग अरविन्द नगर शीतल के घर तक सी.सी. रोड एवं आरसीसी नाली निर्माण कार्य ।	3390352.00/-	25428.00/-	5000.00/-	6 माह

शर्तें:- 1. निविदा से संबन्धित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन <http://mptenders.gov.in> की वेबसाइट पर किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा। 2. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन दिनांक 04.06.2026 को 10:30 बजे से 04.07.2026 17:30 बजे तक क्रय एवं भरे जा सकते हैं। 3. निविदा की समस्त शर्तें निविदा प्रपत्र अनुसार होंगी। 4. सम्पूर्ण दरें की.एस.टी. छोड़कर प्रस्तुत की जावें। 5. जिन संविदाकारों को निकाय द्वारा ब्लोक लिस्टेड या प्रतिबंधित किया गया है एवं जिन संविदाकारों द्वारा अनुबंध नहीं किया गया है, वह निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं, और वा ही उनकी निविदायें खोली जायेगी। 6. ठेकेदार द्वारा किये गये निर्माण कार्य का भुगतान निकाय में बजट उपलब्ध होने पर ही किया जावेगा जो ठेकेदार को मान्य एवं स्वीकार होगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद चित्रकूट